निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 अग्रहायण 1944 (श0)
(सं0 पटना 1070) पटना, सोमवार, 12 दिसम्बर 2022

सं० 3/एम०-63/2005-22218/सा0प्र0
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प
12 दिसम्बर 2022

विषय :- बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अवसरों की सीमा के संबंध में।

तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (अब सामान्य प्रशासन विभाग) के संकल्प ज्ञापांक-2374 दिनांक-16.07.2007 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग एवं बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के संचालन और अनुशंसा करने के प्रयोजनार्थ कतिपय बिन्दुओं पर मार्गदर्शन परिचारित किया गया है।

2. उक्त संकल्प की कंडिका-3(6) एवं 3(8) का प्रावधान निम्नवत् है-

"6. सरकारी सेवकों द्वारा उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट की व्यवस्था पूर्ववत लागू रहेगी।

8. प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने के लिए अवसरों की सीमा संकल्प संख्या-6519 दिनांक-10.09.2003 के तहत समाप्त की जा चुकी है। अतः किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए अब अवसरों की सीमा नहीं रहेगी। परन्तु सरकारी सेवकों के लिए निर्धारित अधिकतम तीन अवसरों की सीमा लागू रहेगी।"

3. तदनुसार बिहार सरकार के सरकारी सेवकों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अवसरों की सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-524 दिनांक-13.01.2022 द्वारा निम्नांकित स्पष्टीकरण निर्गत किया गया है-

"आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने के लिए बिहार राज्य के सरकारी सेवकों के लिए राज्य सरकार की सेवा में आने के उपरान्त अधिकतम तीन अवसरो की सीमा होगी। किन्तु राज्य के सरकारी सेवकों से भिन्न अभ्यर्थियों के लिए अवसरों की कोई सीमा नहीं होगी।"

4. तत्कालीन नियुक्ति विभाग (अब सामान्य प्रशासन विभाग) के संकल्प संख्या-13515 दिनांक-09.10.1961 की कंडिका-1, 3 एवं 4 में प्रावधानित मुख्य अंश निम्नवत् है-

"... a candidate appearing in the Combined Competitive Examination held by the public Service Commission must be below 25 years and ovcr 22 year of age on the lst day of August last preceding the month in which the examination is held.

It is not permissible under the existing rules for a government servant over 25 years of age to appear in the competitive examination.

3. Government have, therefore, decided that non-gazetted employees of the State Government (either temporary or permanent) and temporary gazetted officers, who have put in at least 3 years continuous service and who are under 35 years of age, on the 1st day of August last preceding the month in which the combined competitive examination is held, may be permitted to appear in the examination, ...

4. Government have, therefore, resolved that the number of chances which State Government servant can take between the ages of 26 and 35 (or 40) should be limited to three. ...under this concession."

5. उपर्युक्त प्रावधान एवं विवरणी से स्पष्ट होगा कि बिहार सरकार के कर्मियों लिए अधिकतम आयु में छूट के दरम्यान वह तीन बार इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

जबकि संकल्प ज्ञापांक–6519 दिनांक–10.09.2003 के प्रावधानों के आलोक में सामान्य अभ्यर्थियों के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अवसरों की कोई सीमा नहीं है।

परन्तु संकल्प ज्ञापांक–2374 दिनांक–16.07.2007 एवं परिपत्र संख्या–524 दिनांक–13.01.2022 द्वारा निर्गत स्पष्टीकरण के आलोक में अब बिहार सरकार में किसी भी पद पर नियुक्ति के उपरान्त संबंधित सरकारी सेवक अपनी अधिकतम उम्र सीमा अथवा छूट की उम्र सीमा के अन्तर्गत अधिकतम 03 अवसरों का ही उपभोग कर सकता है।

6. बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने हेतु वर्तमान में निर्धारित अवसरों की सीमा पर पुनर्विचार का प्रस्ताव विचाराधीन था।

7. अतः सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है कि –

(क) बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरान्त उनकी पूरी सेवा अवधि में प्रत्येक आयोग (बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग आदि) द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अलग–अलग अधिकतम कुल 05 (पाँच) अवसर ही अनुमान्य होंगे।

(ख) उपर्युक्त निर्धारित 05 (पाँच) अवसरों की गणना संकल्प निर्गत होने की तिथि के बाद से प्रारम्भ होगी। पूर्व में उपभोग कर लिए गए अवसरों की एतदर्थ उपेक्षा की जाएगी।

(ग) बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने के लिए नियमित नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट पूर्ववत अनुमान्य होगी। परन्तु उक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकेगी जब उनके द्वारा तबतक अधिकतम 05 (पाँच) अवसरों का उपभोग नहीं किया गया हो।

(घ) संकल्प ज्ञापांक–2374 दिनांक–16.07.2007 एवं परिपत्र संख्या–524 दिनांक–13.01.2022 इस हद तक संशोधित समझा जाएगा।

8. यह तुरत प्रवृत होगा।

आदेश – आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
गुफरान अहमद,
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1070-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in